उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

30/7/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण व स्वयं वादीगण हाजिर नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने पर भी ना तो वकील वादीगण हाजिर और ना ही वादीगण स्वयं हाजिर। वकील प्रतिवादीगण हाजिर। अतः वाद-पत्र घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा को अदम पैरवी अदम पैरवी से खारिज किया जाता है। पत्रावली कैन्सल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखील दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner